प्रस्तावना

प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत यह प्रतिवेदन राज्य विधान सभा के पटल पर रखे जाने हेतु झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार किया गया है।

अप्रैल 2019 से मार्च 2024 की अवधि को आच्छादित करते हुए झारखण्ड में 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई, जिसका उद्देश्य इसकी कमियों को उजागर करना, सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना तथा योजना के परिणामों को सुदृढ़ करने हेतु उपायों की अनुशंसा करना था।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान की गई निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए मामलों के साथ-साथ ऐसे मामलों से भी संबंधित हैं, जो पूर्ववर्ती वर्षों में संज्ञान में आए थे किंतु पूर्व की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके। आवश्यकतानुसार 2023-24 के पश्चात् की अवधि से संबंधित उदाहरणों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों, निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों तथा लेखापरीक्षा एवं लेखा संबंधी विनियमों के अनुरूप की गई है।